


Ujjain Sahakari Dugdh Sangh Maryadit, Ujjain

रतलाम, मंदसौर, नीमच एवं आगर-भाजापुर
जिला में साँची घी विक्रय सुपरस्टॉकिस्ट हेतु
निविदा प्रपत्र
वर्ष 2018-19



उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन
मकसी रोड़ डेयरी प्लांट, उज्जैन-456010
दूरभाष - 2527061,2527068,2527066

मोनो

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

मक्सी रोड, पोस्ट बॉक्स नं.106, उज्जैन-456010 (म.प्र.)

दूरभाष - 0734-2527068, फेक्स नं. 2527063

रतलाम, मंदसौर, नीमच, एवं आगर-भाजापुर जिला में साँची
घी सुपर स्टॉकिस्ट नियुक्ति हेतु
ई-निविदा सूचना।

रतलाम, मंदसौर, नीमच एवं आगर-भाजापुर में साँची घी के सुव्यवस्थित वितरण के लिए सुपर स्टॉकिस्ट नियुक्ति हेतु ई-निविदा के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक निविदाकार रूपये 500=00 (पांच सौ मात्र) ऑन लाईन भुगतान कर म.प्र. सरकार की ई-टेंडरिंग वेबसाईट <http://www.mpeproc.gov.in> पर दिनांक 26/03/2018 प्रातः 11:00 बजे से ऑन लाईन क्रय कर सकते हैं। निविदा दिनांक 23/04/2018 को अपरान्ह 1:00 बजे तक जमा की जा सकती है। प्रत्येक जिला हेतु पृथक आवेदन करना होगा। आगर भाजापुर जिला हेतु एक ही सुपर स्टॉकिस्ट रखा जाएगा।

फॉर्म के साथ ई.एम.डी. राशि 1,00,000=00 का बैंक ड्राफ्ट जो "मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन दुग्ध संघ, उज्जैन" के नाम देय हो संलग्न करना अनिवार्य होगा। किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को रहेगा एवं किसी भी न्यायालयीन प्रक्रिया से मुक्त रहेगा।

भोश विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट <http://www.mpcdf.gov.in> पर उपलब्ध है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
सुपरस्टॉकिस्ट रतलाम, मंदसौर, नीमच, एवं आगर, भाजापुर
जिला में (साँची घी)
एजेंसी अवंटन हेतु निविदा प्रपत्र

1	निविदा प्रपत्र विक्रय आरंभ करने की तिथि एवं समय	दिनांक 26/03/2018 प्रातः 11:00 बजे
2	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	23/4/2018 दोपहर 11:00 बजे तक
3	निविदा जमा करने की तिथि एवं समय	23/04/2018 दोपहर 01:00 बजे तक
4	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	23/04/2018 दोपहर 3:00 बजे
5	निविदा के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि	1,00,000=00 (एक लाख मात्र) उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन पेयबल एट उज्जैन के नाम से देय हो।
6	निविदा प्रपत्र का मुल्य	रूपये 500/- (पांच सौ मात्र)
7	निविदा खोलने का स्थान एवं पता	उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन
8	धरोहर राशि (ई.एम.डी.)	लिफाफा "A"
9	सुपर स्टॉकिस्ट हेतु तकनीकी अर्हताएं एवं सामान्य भातें का प्रारूप	प्रपत्र 01 एवं 02
10	फर्म की विस्तृत जानकारी	प्रपत्र- 03
11	अनुबंध का प्रारूप	प्रपत्र - 04
12	कमीशन दर संरचना	प्रपत्र - 05

आवेदन प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :-

- प्रपत्र क्रमांक 01 "तकनीकी अर्हताएं" प्रपत्र क्रमांक 01 "सामान्य भातें एवं अनुबंध प्रपत्र 02 - 03 " बन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जावे, एवं लिफाफे पर "साँची घी सुपर स्टॉकिस्ट हेतु निविदा" लिखा जावे साथ ही लिफाफे पर प्रेशक का नाम पता अंकित किया जावे।
- निविदा में उल्लेखित भातों की अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी भातें मान्य नहीं की जावेगी।
- बिना पूर्ण दस्तावेज एवं ई.एम.डी. राशि के प्रस्तुत की गई निविदाएं मान्य नहीं किये जावेंगे।
- निविदाकार द्वारा प्रपत्र - 01 प्रपत्र 02 के प्रत्येक पेंज पर अपने हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात् ही निविदा प्रस्तुत की जावे।

(तकनीकी अर्हताएं)

तकनीकी अहर्ताएं

क्रमांक	आवश्यक अहर्ताएं	विवरण जानकारी	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले स्व प्रमाणित दस्तावेज
1.	निविदाकार का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दृष्टि में पंजीयन का प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाण पत्र।
2	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता।		पंजीकृत पार्टनर शिप डीड।
3	संस्था/फर्म होने की दृष्टि में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम		संस्था/फर्म के संचालक मंडल/मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र।
4	आवेदनकर्ता का पेनकार्ड नम्बर होना अनिवार्य है।		पेनकार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
5	GST नम्बर होना अनिवार्य है। नया कार्य आरंभ करने की स्थिति में निविदाकार को GST नम्बर आवेदन की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।		GST नम्बर/आवेदन की छायाप्रति संलग्न
6	साँची घी वितरण हेतु उपलब्धता वाहन का प्रकार		उपलब्ध वाहन के पंजीयन की प्रति लगावें।
7	बैंक का नाम एवं खाता क्रमांक		बैंक स्टेटमेन्ट की एक वर्ष की छायाप्रति या निरस्त चैक लगावें।
8	वित्तीय वर्ष (कर निर्धारण वर्ष 2014-15 एवं 2015-16, 2016-17) आयकर का रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण		आयकर विभाग में रिटर्न जमा करने की पावती एवं रिटर्न की कॉपी। (छायाप्रति संलग्न करें)

नोट:-

1. उक्त दस्तावेजों (जिनकी छायाप्रतियां मांगी गई हैं) की स्वयं के द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है, तथा आवेदन स्वीकृति होने पर मूल दस्तावेजों से सत्यापित कराना अनिवार्य है।
2. तकनीकी अर्हताओं संबंधित प्रपत्र क्रमांक 01 आवेदन की भांति एवं प्रपत्र क्रमांक 02 में प्रस्तुत की जा रही हैं।
3. उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर साँची घी सुपर स्टॉकिस्ट एजेंसी को निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी जो मान्य है।


हस्ताक्षर

नाम-----

पता-----

दूरभाष नम्बर -----

मोबाईल नम्बर -----



साँची घी सुपर स्टॉकिस्ट निविदा हेतु
आव यक भातें

1. निविदाकार को निविदा के साथ स्व प्रमाणित (हस्ताक्षर कर) पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है।
2. निविदाकार को निविदा के साथ रूपये 1,00,000 /- (अक्षरी रू. एक लाख मात्र) डी.डी. /नगद आर्नेस्टमनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। आर्नेस्टमनी जमा न करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त माने जावेंगे।
3. सुपर स्टॉकिस्ट को संघ में प्रतिभूति/अमानत राशि नगद रू. आठ लाख एवं पैंतीस लाख की बैंक ग्यारंटी अथवा संयुक्त नाम से FDR जमा कराना होगी।
4. सुपर स्टॉकिस्ट के पास FMCG वस्तुओं का पूर्व वितरण अनुभव एवं विगत तीन वर्षों में वर्ष में कम से कम रू. 25 करोड़ वार्षिक का टर्न ओव्हर होना आव यक होगा। टर्न ओव्हर को सत्यापित करने हेतु उसे विक्रय कर निर्धारित हेतु प्रस्तुत किये गये लेखों की प्रति एवं बैंक खाता विवरण प्रस्तुत करना होगा।
5. सुपर स्टॉकिस्ट को माल के व्यवस्थित भंडारण एवं गोडाउन की व्यवस्था करना होगी साथ ही वितरण कार्य में लगाये जाने वाले कम से कम तीन-चार वाहन की व्यवस्था भी करनी होगी। इस संबंध में आव यक दस्तावेज जैसे किराया अनुबंध या रजिस्ट्री आदि तथा वाहन रजिस्ट्रेशन भी जमा करवाने होंगे।
6. सुपर स्टॉकिस्ट को अपनी मांग कम से कम दो दिवस पूर्व संघ को लिखित में देना होगी, किन्तु संघ द्वारा उपलब्धता अनुसार मांग की पूर्ति की जा सकेगी। मांग अनुसार माल का प्रदाय दिन में एक ही बार संयंत्र वितरण डॉक से किया जावेगा।
7. संघ की निर्धारित नीति अनुसार प्रदाय होने वाले माल की राशि का भुगतान संघ की निर्धारित समय में प्राप्त हो सके, इस हेतु राशि की व्यवस्था सुपर स्टॉकिस्ट को अपने खाते में सुनिश्चित करना होगी।
8. सुपर स्टॉकिस्ट को साँची घी प्राप्त करते समय उसकी जाँच परख हर दृष्टि से सुनिश्चित कर लेना होगा। प्रदाय होने वाले पचास टाट किसी भी प्रकार की टूट-फूट की हानि की जिम्मेदारी सुपर स्टॉकिस्ट की रहेगी।
9. सुपर स्टॉकिस्ट को संघ की निर्धारित भातों के अनुसार रूपये 1000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध संपादित करना होगा। साथ ही सुपर स्टॉकिस्ट को दो वर्ष के लिए नियुक्ति किया जावेगा, तत्पश्चात् कार्य, वित्तीय व्यवहार, लक्ष्य पूर्ति, बाजार में व्यवसायिक साख इत्यादि बिन्दुओं की समीक्षा रिपोर्ट संतोश जनक होने पर इसमें प्रबंध के निर्णय अनुसार एक-एक वर्ष की तीन वर्ष तक वृद्धि की जा सकेगी।

10. संघ से सीधे घी प्राप्त कर विक्रय करने वाले वितरकों/विक्रेताओं/ उपभोक्ताओं को प्रदाय का अधिकार संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
11. संघ से क्रय की गई घी की मात्रा की राशि RTGS के माध्यम से संघ के खाते में जमा करवानी होगी। सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा संघ में जमा बैंक ग्यारंटी/ FDR की 80% राशि का माल ही प्रदाय से किया जावेगा।
12. सुपर स्टॉकिस्ट को सम्पूर्ण जिला में निर्देश अनुसार नेटवर्क स्थापित कर लक्ष्य अनुसार विक्रय स्थापित करना आवश्यक होगा।
13. सुपर स्टॉकिस्ट को जो भी लक्ष्य दिये जाते हैं उनको प्राप्त करना होगा, लक्ष्य प्राप्ति के अभाव में जो भी राशि मार्जिन के रूप में सुपर स्टॉकिस्ट को दी जावगी, उसकी 50% राशि संघ द्वारा सुपरस्टॉकिस्ट जमा अमानत राशि जप्त कर सुपर स्टॉकिस्ट की एजेंसी निरस्त करने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
14. नेटवर्क स्थापित करने हेतु सुपर स्टॉकिस्ट को कम से कम 4 विक्रय प्रतिनिधि स्वयं के व्यय पर सम्पूर्ण जिले हेतु रखना होगा एवं आवश्यकता अनुसार वृद्धि करना होगी।
15. सुपर स्टॉकिस्ट विज्ञापन एवं ब्राण्ड प्रमोशन में पूर्ण सहभागिता देगा एवं आवश्यकता अनुसार प्रचार प्रसार हेतु फंड भी उपलब्ध करवायेगा।
16. किसी भी निविदा का बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा। आवश्यकता प्रतिपादित होने पर सभी अथवा किसी भी निविदाकार से नेगोशिएशन कर दरों का निर्धारण किया जा सकेगा।
17. प्राप्त निविदा की समीक्षा गठित चयन समिति के द्वारा की जावेगी, एवं चयन प्रक्रिया के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम एवं समस्त निविदाकारों पर बंधनकारी होगा।
18. आवेदन स्वीकृति होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर आवेदनकर्ता की अर्नेस्टमनी राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।
मेरे द्वारा साँची घी सुपर स्टॉकिस्ट हेतु निविदा की समस्त भातें एवं अनुबंध की भातें पढ़ व समझ ली है तथा मैं/ हम सभी भातों को मानने के लिए सहज तैयार हूँ/हैं। निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिन्दु क्रमांक 01 से 18 तक वर्णित भातों को पालन नहीं करता हूँ, तो मेरी निविदा निरस्त कर मेरी अर्नेस्टमनी राजसात करने का प्रबंध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम एवं पता

प्रपत्र क्रमांक – 03

रतलाम, मंदसौर, नीमच एवं आगर-भाजापुर
जिलों में साँची घी सुपर स्टॉकिस्ट हेतु
आवेदन प्रपत्र

पासपोर्ट
साईज फोटो
(स्व प्रमाणित)

1. निविदाकार का नाम —
2. पिता/पति का नाम —
3. स्थाई पता (प्रमाण सहित) —
- दूरभाष नं. / मोबाईल नं. —
- पैन कार्ड नं. —
4. भौक्षणिक योग्यता —
5. आवेदक/फर्म का नाम /यदि —
- फर्म पार्टनरशिप है ता पार्टनरशिप —
- फर्म की पूर्ण जानकारी —
- (दस्तावेजों की छायाप्रति सहित) देना अनिवार्य है।
6. वर्तमान व्यवसाय —
7. वर्तमान व्यवसाय का टर्न ओव्हर —
- (टर्न ओव्हर का प्रमाण पत्र संलग्न करें)
8. जहां सुपर स्टॉकिस्ट कार्य करना —
- चाहते हैं, उस जिले का नाम
9. वित्तीय स्थिति (बैंक खाता नं.) —
- (अ) चल अचल सम्पत्ति का ब्योरा —
- (ब) बैंक व वित्तीय संस्थाओं में —
- जमा राशि।
- (गत तीन वर्ष का आयकर विवरण संलग्न करें।)

10. सुपर स्टॉकिस्ट हेतु आव यक —
 पूँजी की व्यवस्था —
11. (अ) पेन नम्बर —
 (ब) जी.एस.टी. नम्बर —
12. वाहन की व्यवस्था (स्वयं का वाहन—
 होना आव यक) वाहन के पंजीयन —
 की छायाप्रति संलग्न करें, अथवा —
 विवरण दे।
13. भण्डारण हेतु —
 वर्तमान क्षमता / व्यवस्था —
14. धरोहर / ई.एम.डी. राशि — रू.....
 डी.डी. / एम.आर.नं —
- दिनांक प्रारूप 01 के साथ संलग्न हैं।

दिनांक

हस्ताक्षर

निविदाकार के हस्ताक्षर का नाम एवं पूर्ण पता

.....

अनुबंध पत्र

यह अनुबंध मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन (जिन्हें आगे प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) एवं
.....(जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) के मध्य निम्नलिखित भातों पर साँची घी सुपर स्टॉकिस्ट कार्य हेतु निष्पादित किया जाता है :-

1. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को केवल साँची घी वितरण /विक्रय हेतु सम्पूर्ण जिला के लिए पूर्णतः अस्थायी रूप से दो वर्ष की अवधि हेतु सुपर स्टॉकिस्ट नियुक्त किया जाता है। जैसे कार्य संतोशप्रद होने पर आगामी एक-एक वर्ष के लिए तीन वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा।
2. यह कि वर्तमान में द्वितीय पक्ष द्वारा संघ में प्रतिभूति स्वरूप राशि ₹ 8,00,000/- (अक्षरी रूपसे आठ लाख मात्र) नगद एवं रुपये 35 लाख की बैंक ग्यारंटी जमा की गई है, इसके अतिरिक्त (विक्रय वृद्धि की समीक्षा पश्चात्) यदि प्रथम पक्ष द्वारा भविष्य में प्रतिभूति राशि में वृद्धि हेतु निर्देशित किया जाता है, तो द्वितीय पक्ष को वांछित प्रतिभूति राशि जमा करवाना अनिवार्य होगा। अन्यथा माल प्रदायगी रोक दी जावेगी।
3. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रतिभूति राशि के अतिरिक्त दैनिक उठाये जाने वाले घी की राशि आर. टी.जी.एस. के द्वारा दैनिक रूप से 100% संघ खाते में ट्रांसफर करायी जाएगी। अथवा अग्रिम चेक (भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) संघ कार्यालय में देना अनिवार्य होगा।
4. यह कि प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट को उनकी जमा बैंक ग्यारंटी का 80% का माल प्रदाय किया जा सकेगा, जो द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट को मान्य
5. मांग एवं संघ में उपलब्धता अनुसार साँची घी का प्रदाय उनके प्रचलित वजन/पैकिंग अनुसार प्रदाय किया जावेगा, जिसे द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट उसी ईकाई/केस/कर्टन (साँची घी 01 लीटर, 1/2 लीटर, 1/5 लीटर एवं 05 लीटर व 15 कि.ग्रा. जार के पैक में) प्रदाय करेंगे एवं राशि वसूल करेंगे। किसी भी स्थिति में खुल्ला साँची घी का प्रदाय नहीं कर सकेंगे। साथ ही संयंत्र डाक से प्रातः 8:00 बजे से अपराह्न 3:30 बजे के मध्य दिन में एक बार घी प्रदाय किया जावेगा।
6. यह कि प्रथम पक्ष यदि यह महसूस करें कि द्वितीय पक्ष साँची की विक्रय का वितरण समान रूप से वितरक/विक्रेताओं की मांग एवं समय पर प्रदायगी नहीं कर पा रहा है तो ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष तत्काल में अपने साधन से घी की आपूर्ति करेंगे, एवं इस बात की तस्दीक करेंगे कि द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा वितरकों की मांग पूर्ति किन कारणों से नहीं की जा रही है, यदि जानबूझकर लापरवाही की जा रही है तो उसी दिन से प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष की सुपर स्टॉकिस्ट एजेंसी समाप्त करने हेतु अधिकारी सुरक्षित रखता है।
7. यह कि प्रथम पक्ष दुग्ध संघ द्वारा द्वितीय पक्ष को घी के विक्रय वृद्धि हेतु विक्रय लक्ष्य दिये जावेंगे, जिनकी पूर्ति करना अनिवार्य होगा। वर्तमान में विक्रय लक्ष्य कार्य आदेश में उल्लेखित किये गये हैं।
8. यह कि प्रथम पक्ष दुग्ध संघ द्वारा द्वितीय पक्ष सुपर स्टॉकिस्ट को जो भी लक्ष्य दिये जाते हैं, को प्राप्त करना होगा। लक्ष्य प्राप्ति के आभाव में जो भी राशि मार्जिन के रूप में सुपर स्टॉकिस्ट को दी जावेगी,

उसकी 50 प्रतिशत राशि संघ सुपर स्टॉकिस्ट की जमा अमानत राशि जप्त कर सुपर स्टॉकिस्ट की एजेन्सी निरस्त करने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित रहेगा।

9. यह कि प्रथम पक्ष को यह अधिकार रहेगा कि वह द्वितीय पक्ष सुपर स्टॉकिस्ट के द्वारा विक्रय की जा रही मात्रा की समीक्षा छः माह अथवा एक वर्ष में कभी भी कर सकेगा, तथा उसी अनुसार वितरक एजेंसी आगे ओर बढ़ायी जाना है, अथवा नहीं का निर्णय लिया जा सकेगा, जिसमें मूलतः विक्रय मात्रा वृद्धि एवं वित्तीय व्यवहार प्रमुख रहेंगे। जिसमें द्वितीय पक्ष का कोई भी कारण मान्य नहीं रहेगा।
10. यह कि द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा सॉची घी की वांछित मात्रा की मांग कम से कम 48 घण्टे पूर्व नियत समय अवधि तक अग्रिम लिखित प्रस्तुत करना होगी एवं उसी अनुसार माल उठाया जाना होगा, एक बार मांग दिये जाने पर उसमें किसी भी प्रकार की काट-छांट या पैकिंग मात्रा में संशोधन नहीं किया जावेगा।
11. यह कि द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा प्रथम पक्ष/संघ से उठायी गई सॉची घी मात्रा का लेखा-जोखा हर तरह से द्वितीय पक्ष रखेंगे, एवं प्रथम पक्ष/संघ द्वारा मांग किये जाने पर मय डी.एम एवं गेटपास की प्रति सहित प्रस्तुत करेंगे।
12. यह कि द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट घी प्राप्त करते समय हर तरह से (पैकिंग, गुणवत्ता, पैकिंग तारीख, लीकेज इत्यादि) संतुष्ट होने पर ही प्राप्त करेंगे, सयंत्र से माल आपको अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के सुपुर्दगी पत्र प्राप्त किसी भी प्रकार का शिकायत को मान्य नहीं किया जावेगा।
13. यह कि यदि स्थानीय क्षेत्रिय निकाय द्वारा किसी प्रकार का कर अथवा उपकर विक्रित होने वाले सॉची घी पर लगाया जाता है, तो उसका वहन द्वितीय पक्ष स्वयं करेगा, प्रथम पक्ष उसमें किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं देगा।
14. यह कि द्वितीय पक्ष को आयकर पेन क्रमांक एवं विक्रय कर संबंधी किन्हीं भी प्रपत्रों की आवश्यकता हेतु कार्यालय में उक्त दोनों दस्तावेजों की छायाप्रति देना होगा। इसके अभाव में यदि प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ को किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही अथवा आर्थिक भास्ती सरकार या अन्य किसी संस्था द्वारा की जाती है तो उसकी भरपायी द्वितीय पक्ष की जमा प्रतिभूति राशि से की जावेगी।
15. यह कि खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के तहत किसी भी भासकीय, अर्द्ध भासकीय संस्था के अधिकारियों द्वारा यदि संघ द्वारा निर्मित घी के सेम्पल की मांग की जाती है तो द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट उन्हें सील बंद ईकाई (घी) देंगे, किसी भी स्थिति में खुल्ला घी नहीं देंगे, अन्यथा प्रथम पक्ष किसी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। साथ ही सेम्पल होने की सूचना तत्काल समय दूरभाष पर एवं पत्राचार दस्तावेजी प्रतियां भी कार्यालय में 24 घंटे की समय अवधि में देना अनिवार्य होगी।
16. यह कि द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा घी का वितरण परिवहन का कार्य स्वयं के परिवहन साधन एवं व्यय से करना होगा, इस हेतु पृथक से किसी प्रकार का भुगतान प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा नहीं दिया जावेगा। द्वितीय पक्ष अन्य संघ के क्षेत्र में प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से घी प्रदाय नहीं कर सकेगा।

17. यह कि द्वितीय पक्ष "साँची घी" के वितरण/विक्रय हेतु अधिकृत सुपर स्टॉकिस्ट वितरक नियुक्त है, अतः छोटे-छोटे व्यापारियों/वितरक/विक्रेताओं से मधुर व्यवसायी संबंध बनाकर रखना होगा, जिससे साँची ब्राण्ड घी के विक्रय में अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें एवं प्रथम पक्ष का माल विक्रय में सहायता मिलती रहे।
18. यह कि उक्त अनुबंध प्रथम पक्ष अथवा द्वितीय पक्ष द्वारा एक माह का अग्रिम नोटिस देकर समाप्त किया जा सकेगा। जिसमें दोनों पक्षों में लेखा मिलान संतोशप्रद होना आवेक्यक रहेगा। अन्यथा प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जाती है तो उसका हर्जा-खर्चा द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट से वसूल करने हेतु अधिकार प्रथम पक्ष सुरक्षित रखता है।
19. यह कि उक्त अनुबंध दोनों पक्षों के वारिसों पर भी समान रूप से प्रभाव पील रहेगा।
20. यह कि उपरोक्त भातों में व्यवहारिक आवेक्यकतानुसार परिवर्तन का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
21. यह कि किसी भी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष उज्जैन सहकारी दुग्ध सहकारी मर्यादित, उज्जैन का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।
22. यह कि किसी भी न्यायिक विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र सहकारी न्यायालय उज्जैन होगा।

उपरोक्त भातों पर दोनों पक्षों की सहमती से यह अनुबंध बिना किसी दबाव एवं पूर्ण हों 1-हवांस में उज्जैन सहाकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के कार्यालय में निम्न गवाहों के समक्ष निशपादित किया गया जो दोनों पक्षों को मान्य है।

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ
मर्या. मक्सी रोड़, उज्जैन -
456010

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)
सुपर स्टॉकिस्ट (घी)
नाम.....
पता

हस्ताक्षर साक्ष्य - 1

नाम :
पता:.....

हस्ताक्षर साक्ष्य -2

नाम :
पता:.....

हस्ताक्षर साक्ष्य - 1

नाम :.....
पता:

हस्ताक्षर साक्ष्य -2

नाम :.....
पता:

प्रपत्र क्रमांक - 05
(कमी न दर संरचना प्रारूप)

सुपरस्टाकिस्ट दर					
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन					
दर सरंचना साँची घी					
साँची घी –					
विवरण	पैकिंग	सुपरस्टाकिस्ट दर	वितरक दर	रिटेलर दर	उपभोक्ता दर
साँची घी	200 एमएल	75.50	78.13	82.36	92.00
	500 एमएल	189.04	195.66	206.26	228.00
	1 लीटर	374.98	388.10	407.22	450.00
	5 लीटर जार	1874.99	1927.49	2017.49	2200.00
	15 कि.ग्रा. जार	6224.96	6312.11	6449.06	6725.00

समय-समय पर उक्त दरें परिवर्तन िल रहेगी।